न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी लुणी जिला जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कासौटिया आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 37 / 2020

प्रार्थीगण :–

01. मागीलाल पुत्र लालाराम
02. हड़मानराम पुत्र लालाराम
03. दुर्गाराम पुत्र लालाराम
04. श्रीराम पुत्र लालाराम
05. राजुराम पुत्र गोमाराम के कायम मुकाम
    - 5/1 फरसाराम पुत्र राजुराम
    - 5/2 प्रभूराम पुत्र राजुराम
    - 5/3 श्रीमति मानीदेवी पत्नी राजुराम
    - 5/4 श्रीमति भंवरीदेवी पुत्री राजुराम पत्नी अचलाराम जाति जाट निवासी ग्राम उतेसर तहसील लुणी जिला जोधपुर
    - 5/5 श्रीमति चुन्नीदेवी पुत्री राजुराम पत्नी नैनाराम जाति जाट निवासी ग्राम नारनाडी तहसील लुणी जिला जोधपुर
    - 5/6 श्रीमति माडीदेवी पुत्री राजुराम पत्नी जसाराम जाति जाट निवासी ग्राम मेहलावास तहसील लुणी जिला जोधपुर
    - 5/7 श्रीमति लीलादेवी पुत्री राजुराम पत्नी बालुराम जाति जाट निवासी ग्राम जुणावा की ढाणी तहसील जोधपुर
06. डुंगरराम पुत्र गोमाराम
07. जैति पत्नी राणाराम
08. सोहनराम पुत्र राणाराम
09. नरेश पुत्र राणाराम
10. मंजु पुत्री राणाराम
11. रेखा पुत्री राणाराम

जातियान जाट निवासी ग्राम बड़लिया तहसील लुणी जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

01. करनाराम पुत्र बिरदाराम के कायम मुकाम
    - 01/01 उर्जाराम पुत्र करनाराम
    - 01/02 ईश्वरलाल पुत्र करनाराम
    - 01/03 भंवरलाल पुत्र करनाराम
    - 01/04 खुमाराम पुत्र करनाराम
    - 01/05 श्रीमति सिणगारीदेवी पत्नी करनाराम
    - 01/06 श्रीमति अणसीदेवी पुत्री करनाराम
    - 01/07 श्रीमति सुगणीदेवी पुत्री करनाराम
    - 01/08 श्रीमति धापुदेवी पुत्री करनाराम
    - 01/09 श्रीमति मीमोदेवी पुत्री करनाराम

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लुणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

02. खरताराम पुत्र धन्नााराम
03. लुणाराम पुत्र खेताराम
04. गोपाराम पुत्र खेताराम
05. लक्ष्मणराम पुत्र खेताराम
06. मौकाराम पुत्र नरसिंगराम
07. श्रीमति बरजुदेवी पत्नी
08. धर्माराम पुत्र बागाराम
जातियान जाट निवासीयान ग्राम बड़लिया
तहसील लुणी जिला जोधपुर
09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लुणी जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण की ओर से रूघाराम चौधरी

अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से राजाराम चौधरी उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक 30/7/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया कि प्राथ्रीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम हमीर नगर पटवार हल्का फींच के खसरा संख्या 159 रकबा 98 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा संख्या 158 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा में आने जाने के लिए मौजा शिवगांव पटवार हल्का कालीजाल के खसरा संख्या 442 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, मौजा मेहरीयो की ढ़ाणी के खसरा सख्या 548 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा खसरा संख्या 551 रकबा 31 बीघा 08 बिस्वा खसरा संख्या 560/1 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा में करीब 20 फिट चौड़ा रास्ता चल रहा है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा अनुसार रास्ता की मांग की।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर शामिल मिसल की। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 03 से 08 ने न्यायालय में उपस्थति होकर लिखित में कथन किया कि खसरा संख्या 442 एवं खसरा संख्या 560, 561/1 एवं 561 के खातेदारान ने प्रार्थीगण के रास्ता हेतु सहमत है। खसरा संख्या 548 एवं 551 के खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 02 खरताराम ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए खसरा संख्या 160 मे से रास्ता उपलब्ध है। इसके अलावा खसरा संख्या 540 एवं 565 मे से भी रास्ता उपलब्ध हैं लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 ने जवाब के साथ किसी प्रकार का नजरी नक्शा प्रस्तुत नही किया। प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए खसरा संख्या 562 563 एवं 564 के खातेदारान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उन्हे रास्ता का आवश्यकता नही हैं इस कारण उनका नाम प्रार्थीगण से हटाया जावे। खसरा संख्या 562 563 एवं 564 खातेदार काश्तकार नाम प्रार्थीगण से हटाये जाने का आदेश दिनांक 07.08.2023 को आदेश दिया। प्रार्थीगण ने संशोधित शीर्षक एवं संशोधित नक्शा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने मोखिक बहस की। वकुलाय पक्षकारान की बहस पर मनन किया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम हमीरनगर के खसरा संख्या 159 रकबा 98 बीघा 05 बिस्वा खसरा संख्या 158 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा प्रार्थीगण को उपरोक्त खातेदरी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि मौजा शिवगांव के खसरा संख्या 442 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या 02 खरताराम की कृषि भूमि खसरा संख्या 548 रकबा 5.1557 हैक्टयर खसरा संख्या 551 रकबा 5.0828 हैक्टयर एवं अप्रार्थी संख्या 03 से 08 की कृषि भूमि खसरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

संख्या 560 एवं 561 मे से करीब 20 फिट चौड़ा रास्ता चल रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मौके पर रास्ता विद्यमान एवं निकटतम चालु हालत मे है। प्राथीगण को अपनी अपनी खेतेदारी कृषि भूमि मे आने जाने में प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार रास्ते उपयोग उपभोग पीढीयो से करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 एवं अप्रार्थी संख्या 03 से 08 ने माननीय न्यायालय हाजा में व्यक्तिगत उपस्थित होकर लिखित में सहमति दी। इस कारण से विवाद केवल अप्रार्थी संख्या 02 खरताराम ही उत्पन्न कर रहा है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं प्रार्थीगण को अपनी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में से माठ माठ के सहारे–सहारे 20 फिट का रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने मौखिक बहस में निवेदन किया कि खसरा संख्या 158, 159 एवं 159/1 के खातेदारान को भविष्य में किसी प्रकार की रास्ता के सम्बंध में असुविधा नही हो एवं प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के परिवार में रास्ता को लेकर किसी प्रकार का विवाद नही हो इसके लिए खसरा संख्या 158, 159 एवं 159/1 में भी प्रार्थीगण की सहमति से रास्ता धोषित कर दिया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं एवं प्रस्तावित रास्ता ही लघुतम निकटतम है। मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 548 एवं 551 के माठ माठ रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया है। जो न्याय संगत है। खसरा सख्या 442 एवं खसरा संख्या 560 561/1 एवं 561 मे से सहमति के आधार रास्ता दिया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण की सहमति के आधार पर खसरा संख्या 560 561/1 एवं 561 मे से रास्ता घोषित किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत नजरी नक्शा दिनाक 12.07.2024 के अनुसार मौजा शिव गांव के खसरा संख्या 442 के A से B मौजा मेहरियो की ढाणी के खसरा संख्या 548 551 560, 561/1 एवं 561 के B से C एवं मौजा हमीरनगर के खसरा संख्या 159/1 159 एवं 158 के C D E तक 20 फिट चौड़ा रास्ता घोषित किया जाता हैं। नजरी नक्शा दिनाक 12.07.2024 के अनुसार उसमे से 20 फुट रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड एव नक्शे मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज कर मौके पर कायम करे एवं प्रार्थीगण उक्त रास्ते की प्रतिफल की राशि जो तहसीलदार झंवर/लूणी गणना कर प्रार्थीगण को अवगत करावे एव प्रार्थीगण उक्त राशि की डी.डी बनाकर तहसीलदार झंवर/लूणी के समक्ष प्रस्तुत करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार लूणी/झवर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

(पुखराज कांसोटिया) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner